राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाऐ,फीस निर्धारण समिति,
श्री विद्या भवन, द्वितीय तल,शिक्षा संकुल, जयपुर

दिनांक 22.09.2014

: बैठक कार्यवाही विवरण :

माननीय अध्यक्ष जस्टिस शिवकुमार शर्मा जी की अध्यक्षता मे फीस निर्धारण समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 22.09.2014 को किया गया। उक्त बैठक में 'परिशिष्ट–'क' के अनुसार अधिकारी उपस्थित रहे ।

बैठक मे निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

01. गत बैठक दिनांक 09.09.2014 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

02. पूर्व मे जिन 41 विद्यालयों की जिस पैटर्न पर राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 6 (4) में फीस निर्धारित की गई है तथा 38 विद्यालयों को राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन)अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) में नोटिस जारी किये गये है, उसी को आधार मानते हुए कर्मचारियों के वेतन एवं महगाई भत्ते में वृद्धि तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि एवं अन्य कारको के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक वृद्धि दर तय की गई :–

सत्र 2011–12	11 प्रतिशत
सत्र 2012–13	11 प्रतिशत
सत्र 2013–14	10 प्रतिशत
सत्र 2014–15	10 प्रतिशत

एनआईसी के श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक मय टीम द्वारा फीस निर्धारण के लिए बनाए गए सम्पूर्ण सॉफ्टवेयर का समिति के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बाद में राज्य स्तरीय लोगीन से एपीसी आरटीई द्वारा लॉक की गई कुछ विद्यालयों के भाग 2 से 5 तक के ऑन लाईन तैयार प्रपत्रों का भी प्रदर्शन किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने इस पर विस्तृत चर्चा की एवं लगाए गए फार्मूले मे कुछ सुझाव एवं संशोधन किये जाने का निर्णय लिया। पूर्व में तैयार किये गये प्रपत्रों एवं समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक वृद्धि मे आंशिक संशोधन किया जाकर दिनांक 26.09.2014 को फीस निर्धारण समिति की आयोजित बैठक मे फीस निर्धारण प्रक्रिया का पुनः प्रदर्शन किये जाने का आग्रह किया गया।

03. राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है, जिसमें एक सहायक लेखाधिकारी भी सदस्य है ।

04. राजस्थान प्राइवेट विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) नियम2013 के नियम 4 के अन्तर्गत जिला समितियों को विद्यालय के लेखों का जांच/परीक्षण करने का अधिकार है। इसलिए एपीसी (आरटीई) एवं सहायक लेखाधिकारी संयुक्त रूप से पत्रावलियों की प्रथमदृष्टया परीक्षण करने के पश्चात जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा जिला स्तरीय समितियां प्रत्येक सप्ताह सोमवार व गुरूवार को बैठक का आयोजन कर पत्रावलियों का सम्पूर्ण परीक्षण कर पत्रावली पुनः एपीसी को लौटाई जाएगी,तत्पश्चात् एपीसी (आरटीई) द्वारा विद्यालय की सूचना को लॉक किया जायेगा।

05. जिला स्तरीय समितियों के सदस्यों (अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं सहायक लेखाधिकारी) को ऑन लाईन फीस निर्धारण प्रक्रिया के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाकर सम्पूर्ण प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये गये।

06 एपीसी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा पत्रावली जमा होने पर निम्न बिन्दुओं को चैक करेंगे :–

01. भाग संख्या एक में दर्शाई गई छात्र संख्या एवं आरटीई की छात्र संख्या का कक्षावार वर्ष 2010–11 अथवा विद्यालय संचालन के वर्ष से वार्षिक फीस (प्रतिबालक) इन्द्राज किया है या नही।

02. ऐसे विद्यालय जो कि वर्ष 2010–11 या इससे पूर्व संचालित हो रहे है किन्तु सूचनाएं 2010–11 से प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

03. कई विद्यालय 2010–11 या इससे पूर्व संचालित है किन्तु आय–व्यय में शून्य दर्शा रहे है विद्यालय द्वारा किसी भी रूप में ली जा रही राशि को फीस माना जावेगा चाहे वह अनुदान के रूप में दर्शा रहे है।

04. ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 12 तक संचालित हो रहे है किन्तु समिति द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन)अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के अन्तर्गत कक्षा 8 तक फीस अवधारित कर दी गई है तथा विद्यालय ने किसी प्रकार की आपत्ती निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की है ,वे कक्षा 9 से 12 तक की फीस निर्धारण हेतु ऑन लाईन सूचना दिनांक 10.10.2014 से पूर्व भरें।

05 संचालन व्यय एवं गैर संचालन व्यय का भली भांति जांच कर लें कि क्या विद्यालय द्वारा प्रपत्र में वर्गीकरण कर मदवार खर्चे सही इन्दाज किये गये है या नही।

06. विद्यालय/संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई बैलेन्स सीट में दर्शाये गये खर्चो का मिलान सही हो रहा है अथवा भिन्नता आ रही है। यदि भिन्नता आ रही है तो विद्यालय को अवगत कराते हुए उसे दुरस्त करावें।

07. एपीसी (आरटीई) इस बात की भी जांच कर लेवें कि जिन विद्यालयों के राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन)अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के अन्तर्गत जितनी फीस अवधारित की गई है वह फीस आरटीई पोर्टल में दर्शाई गई फीस से अधिक तो नहीं है, यदि है तो उसकी सूची बनाकर समिति को उपलब्ध करावें।

7/10/2014

(एम.पी.वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव (प्रा.शि.)एवम् पदेन सदस्य सचिव
निजी शिक्षण संस्थाऐं, फीस निर्धारण समिति
शिक्षा संकुल जयपुर

क्रमांकः– काअ/रानिशिस/फीनिस/ निजी/बैठक/2014/ 1540 दिनांक 7/10/2014

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. शासन सचिव,स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार,जयपुर।
02. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर ।
04. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
05. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन) जयपुर।
06. संयुक्त शासन सचिव (प्रा.शि.)एवम् पदेन सदस्य सचिव
07. शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर
08. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक,एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
09. श्री सत्येन्द्र सिंह पवांर, सहा0निदेशक, आरटीई, शिक्षा संकुल, जयपुर
10. श्री मोहम्मद इस्माइल, उप निदेशक, आरटीई, प्रा0शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
11. फीस निर्धारण अनुभाग, स्थानीय कार्यालय

7/10/2014

संयुक्त शासन सचिव (प्रा.शि.)एवम् पदेन सदस्य सचिव